



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 141 /2026

ब्रह्मकांत सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, आशुतोष शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सीमा अग्रवाल (स्थायी अधिवक्ता), अविनाश चंद्र श्रीवास्तव

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे मथुरा जिले के तरसी गांव से रामपुर गांव तक एक स्थायी सार्वजनिक सड़क का निर्माण करें और उसे मुख्य सड़क से जोड़ें।
2. याचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए अभ्यावेदन देते रहे हैं, हालांकि, इस संबंध में परमादेश की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सड़कों के निर्माण की मंजूरी कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें धन की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी हितों को दी जाने वाली प्राथमिकता शामिल है।
3. इस स्थिति को देखते हुए, याचिका में मांगी गई कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, हालांकि, प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे याचिका में उठाए गए मुद्दे की जांच करें।
4. अतः याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण

भंसाली,)

फरवरी 13, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”